



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-2, खण्ड (ख)  
(केन्द्रीय अध्यादेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 अगस्त, 2021

श्रावण 22, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-2

संख्या-I/88428/79-20014-1-2021-विधायी विभाग

लखनऊ 13 अगस्त, 2021

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

विधायी अनुभाग-2 दिनांक 25 जनवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 03/79-वि-2-21-2सी-2013, दिनांक 25 जनवरी, 2021 द्वारा उसी दिनांक के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट की विधायी परिशिष्ट के भाग 2 के खण्ड (ख) में अंग्रेजी में प्रकाशित THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) SECOND (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020 के अंग्रेजी पाठ के मुख्य शीर्षक में शब्द एवं अंक "No. 1 OF 2020" के स्थान पर शब्द एवं अंक "No. 15 OF 2020" पढ़ा जाय।

आज्ञा से,  
अतुल श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।